उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या-210/2018/2048/71-1-2018-जी-211/2013 टी०सी०

लखनऊः दिनांक : 23 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

डा० उमेश चन्द्र सिंह, चिकित्साधिकारी, टी0बी0 क्लीनिक, खलीलाबाद सन्तकबीर नगर को सेवा स्थानान्तरण के आधार पर मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सर्जरी विभाग में प्रवक्ता के पद पर कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4103/71-1-2005-ग-71/2005, दिनांक 26-08-2005 द्वारा 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये तैनात किया गया था। अन्तिम बार डा० उमेश चन्द्र सिंह की सेवा स्थानान्तरण अवधि कार्यालय ज्ञाप संख्या-2292/71-1-17-ग-51/2005टी0सी0, दिनांक 30-11-2017 द्वारा दिनॉक 11-09-2017 से एक वर्ष तक के लिये बढायी गयी थी, जो दिनांक 11-09-2018 को समाप्त हो गयी है।

2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सख्या-एम0ई0-2/2018/790, दिनांक 25-06-2018 में की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय मेडिकल कालेज, गोरखपुर के सर्जरी विभाग में आचार्य के पद पर कार्यरत डा० उमेश चन्द्र सिंह की सेवा स्थानान्तरण अवधि दिनांक 11-09-2018 के पश्चात 01 वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिये बढायें जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

शमीम अहमद खान
विशेष सचिव

संख्या-210/2018/2048(1) /71-1-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
6- मुख्य चिकित्साधिकारी, गोरखपुर।
7- कोषाधिकारी, गोरखपुर।
8- संबन्धित चिकित्सा शिक्षक।
9- चिकित्सा अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in